प्रेसनोट

दिनांक- 20.09.2026

थाना दक्षिणटोला, जनपद मऊ।

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत शातिर अपराधी को किया गया जिलाबदर

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 20.09.2026 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद मऊ के आदेश दिनांक- 14.09.2026 के अनुपालन में वाद संख्या- 182/2026 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या- D202615510000182 सरकार बनाम सोनू कुमार अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधियम 1970 के तहत क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम मतलूपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को 06 माह की अवधि के लिए जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित/ जिलाबदर की कार्यवाही किया गया।

अभियुक्त का नाम पता

1.सोनू कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम मतलूपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1.मु0अ0सं0 66/2025 धारा 85/115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

2.मु0अ0सं0 114/2020 धारा 288/279 भादवि थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

3.मु0अ0सं0- 03/2020 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया।

4.मु0अ0सं0 178/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

जिलाबदर करने का दिनांक

1.दिनांक- 20.09.2026

2.जिलाबदर की अवधि – 06 माह

प्रेसनोट

दिनांक- 20.09.2026

थाना कोपागंज, जनपद मऊ।

प्राथमिक विद्यालय में चोरी के मामले में वांछित 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का सामान बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 20.09.2026 को भदसामानोपुर हाइवे मोड़ के पास से मु0अ0स0- 261/2026 धारा 305(e), 317(2) बीएनएस थाना कोपागंज जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्तगण क्रमशः 1.विशाल कुमार पुत्र विजय राम निवासी ग्राम टडियांव थाना कोपागंज जनपद मऊ, 2. सुनील राजभर पुत्र गुलाब चन्द्र निवासी ग्राम फत्तनपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ व 3.अरूण राय पुत्र नागेन्द्र राय निवासी ग्राम काछीकला थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोंग

1. मु0अ0स0- 261/2026 धारा 305(e), 317(2) बीएनएस थाना कोपागंज जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम

1.विशाल कुमार पुत्र विजय राम निवासी ग्राम टडियांव थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2.सुनील राजभर पुत्र गुलाब चन्द्र निवासी ग्राम फत्तनपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3.अरूण राय पुत्र नागेन्द्र राय निवासी ग्राम काछीकला थाना कोपागंज जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक – 20.09.2026
2.स्थान – भदसामानोपुर हाइवे मोड़ के पास।

बरामदगी का विवरण

1.एक अदद एचपी कम्पनी का गैस सिलेण्डर।
2.एक अदद कुकर।
3.एक अदद कड़ाही टूटी हुई।
4.एक अदद कटोरा।
5.एक अदद कुटनी।
6.चावल मात्रा- 30 किग्रा।

प्रेसनोट

दिनांक- 20.09.2026

जनपद मऊ।

मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर परिवार परामर्श समिति की बैठक की गयी, जिसमें 10 मामलों में से 04 मामलों का हुआ निस्तारण

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 20.09.2026 को परिवार परामर्श समिति की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के समक्ष कुल 10 मामले आये, जिसमें परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के प्रयास से 04 मामलों का निस्तारण हुआ है। 2 बन्द हुए तथा 2 सुलह हुए हैं जिनके नाम माधुरी तिवारी पत्नी संजीव तिवारी व आरती शर्मा पत्नी राहुल शर्मा हैं। शेष अगली तारीख 27-09-2026 दी गयी है।

परिवार परामर्श समिति की बैठक में सेवानिवृत्त Dysp बृजराज सिंह सिसोदिया, म0उ0नि0 मधु शर्मा, उ0नि0 समरजीत यादव, उ0नि0 इन्द्र भूषण पाण्डेय, म0आ0 पूनम पाल, म0आ0 राजलक्ष्मी, म0आ0 करिश्मा राय उपस्थित रहे।

प्रेसनोट

दिनांक- 20.09.2026

जनपद मऊ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 20.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त दिपांशु उर्फ तेलू चौहान पुत्र सजन चौहान निवासी ग्राम शहीदगेट मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

2.थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त श्यामबिहारी पुत्र स्व0 महादेव राजभर निवासी ग्राम राघोपट्टी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

3.थाना रामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त श्यामकुमार प्रजापति पुत्र प्रेमचन्द्र प्रजापति निवासी ग्राम बस्ती वर्सी निधियांव थाना रामपुर जनपद मऊ।

4.थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त दिलशाद पुत्र आफताब निवासी ग्राम मदापुर समसपुर थाना घोसी जनपद मऊ।
अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

प्रेसनोट

दिनांक- 20.09.2026

जनपद मऊ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 20.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 29 टीम गठित कर जनपद के 29 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1410 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 469 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 03 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।